न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 216 / 2026

इसलामपुर थाना कांड सं0 – 242 / 2021

सुरज सिंह एवं अन्य .....आवेदकगण

वनाम

बिहार सरकार ..... विपक्षी

17.03.2026

अभिलेख को आदेश पारित करने हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदकगण 1. सुरज सिंह 2. संटु कुमार 3. पिन्टु कुमार 4. मन्टु सिंह 5. दिलीप सिंह 6. चन्दन कुमार 7. शिवजी कुमार 8. कविन्द्र कुमार 9. सोनु कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बब्लु कुमार द्वारा संचालित किया गया। आवेदक इसलामपुर थाना कांड सं0 – 242 / 2021, दिनांक 24.02.2026 धारा– 147, 149, 341, 323, 337, 308, 504, 353 भा0द0वि0 से संबंधित है।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक 12.05.2021 को समय करीब 8:05 बजे सुबह इसलामपुर थाना पर अपने घर से आ रहे थे, जैसे ही करीब– 8:15 बजे बड़ाय पेट्रोल पम्प एवं रोड पर पहुँचे तो देखे कि वहाँ पर करीब 100–150 व्यक्ति एकत्रित थे और किसी बात को लेकर जोर–जोर से हल्ला–गुल्ला कर रहे थे एवं गाली देते हुए ईंट, पत्थर एवं लाठी डंडा से एक दूसरे को मारपीट करने लगे जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हो गये। मारपीट करने वाले लोगों में 1. सुरज सिंह 2. संटु कुमार 3. पिन्टु कुमार 4. मन्टु सिंह 5. दिलीप सिंह 6. चन्दन कुमार 7. शिवजी कुमार 8. कविन्द्र कुमार 9. सोनु कुमार को पहचाना। तत्काल इसकी सुचना थानाध्यक्ष को दिया। थानाध्यक्ष पहुँचे तो सुचक द्वारा लिखित आवेदन दिया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हैं कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किए हैं। अभियोजन का कथन पूर्णतः असत्य, आधारहीन एवं बेबुनियाद है तथा इसमें अंश मात्र भी सच्चाई नहीं है। वास्तव में सच्चाई यह है कि प्रार्थीगण के बीच आपस में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसका समाधान तत्काल हो गया था एवं दोनों पक्षों में से कोई भी व्यक्ति मुकदमा करने के लिए तैयार नहीं हुए तो पुलिस के द्वारा जानबूझकर वर्तमान मुकदमा दाखिल कर दिया गया। धारा– 308, 353 भा0 द0 वि0 जो प्रार्थीगण पर लागु नहीं होती हैं को छोड़कर सभी धाराएँ जमानतीय हैं। आवेदकगण बी0 एन0 एस0 की धारा – 482(2) के शर्तों को मानने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतू उचित जमानतदार देने को तैयार है। अतः किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान प्राभारी लोक अभियोजन द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, हिलसा (नालन्दा)

17.03.2026

उभय पक्षों को सुना एवं विचारण न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण का आपराधिक इतिहास कांड दैनिकी में नहीं दिया गया है। इस याचिका के पारा नं0 3 के तहत आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दो गुटों के बीच झगड़े का आरोप है। सुचक पर ज़ख्म की प्रकृति सामान्य है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण 1. सुरज सिंह 2. संटु कुमार 3. पिन्टु कुमार 4. मन्टु सिंह 5. दिलीप सिंह 6. चन्दन कुमार 7. शिवजी कुमार 8. कविन्द्र कुमार 9. सोनु कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत को समर्पित करने तक 10,000/—रूपया एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर इस न्यायालय के आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार के समय जमानत बंधपत्र दाखिल किये जाने पर अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाती है। विचारण न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर धारा 482(2) बी0 एन0 एस0 के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, हिलसा